492

संख्या– 127 / III(3)/2015–903(ए0डी0बी0)/08 टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी, 2016

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में वाह्य सहायतित योजना (ए0डी0बी0 पोषित कार्यों) हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4710/21 बजट (वा0स0यो0)/2015–16, दिनांक 13.01.2016 एवं उसके साथ संलग्न खण्डवार स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में चतुर्थ किश्त हेतु प्रस्तावित मांग के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 5054 (आयोजनागत मद) के अन्तर्गत वाह्य सहायतित योजना (ए0डी0बी0 पोषित कार्य) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 30000.00 लाख में से शासनादेश संख्या–502/III(3)/2015–903(ए0डी0बी0)/08 टी0सी0, दिनांक 25.04.2015, के द्वारा प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त रु0 10000.00 लाख (रुपये सौ करोड़ मात्र) शासनादेश संख्या– 871/III(3)/2015–903(ए0डी0बी0)/08 टी0सी0, दिनांक 31.7.2015 के द्वारा द्वितीय किश्त के रुप में अवमुक्त रु0 10000.00 लाख (रुपये सौ करोड़ मात्र) तथा शासनादेश संख्या– 1384/III(3)/2015–903(ए0डी0बी0)/08 टी0सी0, दिनांक 28.12.2015 के द्वारा तृतीय किश्त के रुप में अवमुक्त रु0 7500.00 लाख (रुपये पिचहत्तर करोड़ मात्र) के अतिरिक्त चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि योजनान्तर्गत खण्डवार स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये कार्य की अद्यतन प्रगति एवं कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर संबंधित खण्डों को सी0सी0एल0 आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जाय, जिसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी तथा खण्ड स्तर से सम्बन्धित कार्य हेतु अनुबंधित संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 में भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.04.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा। साथ ही उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–252/III(3)/ 2011–901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण व व्यय, उतनी ही धनराशि का, वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा, जितना स्वीकृत लागत के सापेक्ष औचित्यपूर्ण होगा तथा ए0डी0बी0 के नियमों/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की गयी हो।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रतिपूर्ति भी शीघ्रातिशीघ्र तथा विलम्बतम दिनांक 31.03.2016 तक कराने की कार्यवाही की जाय।

(5) आगणन में ली गयी सभी दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है तथा उन दरों को बाजार भाव से अथवा रेट

कान्ट्रेक्ट से लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, उसी के अनुसार आंगणन में दरें अनुमन्य होंगी।

(6) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण/सर्वे कर विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को किसी भी दशा में प्रारम्भ न कराया जाय।

(7) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(8) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(9) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) कार्य सम्पादित कराते समय शासनादेश संख्या–571/XXVii(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रथम चरण के कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ही द्वितीय चरण के कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाय। प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने पर कार्यवार पृथक–पृथक प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसके शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग करके उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण देने के बाद ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(14) अगली किश्त अवमुक्त कराने के पूर्व ए0डी0बी0 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि एवं उसके सापेक्ष प्राप्त प्रतिपूर्ति का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800– अन्य व्यय–97 विश्व बैंक सहायतित योजना/बाह्य/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत/सुदृढीकरण–01 निर्माण/सुदृढीकरण–24 वृहत्त निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के नामें डाला जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई0डी0 सं0– S1602220429 दिनांक 24.02.2016 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.4.2015 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)

संख्याः– /27 (1)/III(3)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमॉयू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
7. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।